

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 14(2)चिस्वा/2/23/00807पार्ट-14

जयपुर, दिनांक :

**आदेश**

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 02.03.2023 एवं विभागीय आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/2/2023 दिनांक 25.04.2023 की निरंतरता में डॉ दीपक वर्मा, चिकित्सा अधिकारी को कार्यग्रहण करने हेतु पत्र जारी होने से 5 दिवस तक की अवधि के लिए अभिवृद्धि प्रदान की जाती है। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर डॉ वर्मा के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। नियुक्ति आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (राजपत्रित), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू।
6. डॉ दीपक वर्मा, चिकित्सा अधिकारी को निदेशक(जनस्वा.) के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.08.20 18:07:32 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4541236

